उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्या 1134/VIII-1/2020-04(विविध)/2015-TC-II
देहरादूनः-दिनांक 04 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में संशोधन कर लाइसेंस नवीनीकरण की वर्तमान प्रक्रिया को ऑनलाईन आवेदन कर स्वतः नवीनीकरण का प्रावधान करना आवश्यक है। कारखाने के लाइसेंस हेतु कारखानेदार द्वारा जितनी अवधि **(अधिकतम 10 वर्ष)** के लिए शर्तो के अधीन निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा, कारखाने का लाइसेंस उतनी अवधि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन स्वतः ही नवीनीकृत माना जायेगा। व्यापार की सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण, की दृष्टि से उक्त संशोधन किया जाना अपरिहार्य है;

और चूंकि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 115 नियमों/संशोधन के पूर्व प्रकाशन की अपेक्षा करती है;

अतएव, अब राज्यपाल कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 112 सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं तथा ऐसे सभी व्यक्ति जिनको संशोधन से प्रभावित होने की सम्भावना है, से आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करते हैं;

राज्यपाल, यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिसूचना पर आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो तो, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन से पैंतालिस दिनों की अवधि के भीतर श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन हल्द्वानी, नैनीताल को अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दें, जो समस्त आक्षेप/आपत्तियों को संकलित करके अपनी टिप्पणी के साथ शासन को उपलब्ध करायेंगे;

उक्त पैंतालिस दिनों की समयावधि के पश्चात् प्राप्त किसी भी आक्षेप या सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

उत्तराखण्ड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2020 है।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

नियम 9 का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, 1950 (उत्तराखण्ड मे यथाप्रवृत्त) में नियम 9 के उपनियम (1) में "कारखाने के अनुज्ञापत्र को संबंधित निरीक्षक/उप निरीक्षक द्वारा 10 (दस) वर्षो के लिए नियम-7 के अनुलग्नक के अनुसार निर्धारित फीस भुगतान करने पर निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए किया जायेगा।" के स्थान पर "कारखाने का अनुज्ञापत्र को जितनी अवधि **(अधिकतम 10 वर्ष)** के लिये कारखानेदार द्वारा नियम 7 के अनुलग्नक के अनुसार निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा, कारखाने का अनुज्ञापत्र उतनी अवधि के लिये निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए स्वतः ही नवीनीकृत माना जायेगा।" शब्द रख दियें जायेंगें।

आज्ञा से,
(प्रशान्त आर्य)
अपर सचिव।

Scanned with CamScanner